

Seventeenth Loksabha

&gt;

Title: The motion for consideration of the Election Laws (Amendment) Bill, 2021 (Motion adopted and bill passed).

**THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI KIREN RIJIJU):**

Sir, I beg to move:

“That the Bill further to amend the Representation of the People Act, 1950 and the Representation of the People Act, 1951, be taken into consideration.” ... (*Interruptions*)

**SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR):** Sir, you cannot bring this Bill ... (*Interruptions*)

**14.46 hrs**

*At this stage, Sushri Mahua Moitra, Shri Gaurav Gogoi, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.*

माननीय सभापति : मंत्री जी, क्या आप बिल के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री किरिन रिजीजू : सर, हम इस सदन में आज इलेक्शन लॉज (अमेंडमेंट) बिल, 2021 लेकर आए हैं। इसमें कुछ प्रावधान लेकर आए हैं। ... (व्यवधान) भारत का जो चुनावी प्रोसेस है, इलेक्शन करने का जो तरीका है, इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हम जो चुनाव कराते हैं, उसमें कई अच्छी चीजें सामने आने वाली हैं। ... (व्यवधान) मैं खासकर तीन पाइंट्स बताना चाहता हूँ। अभी तक का जो इलेक्शन लॉ है, अभी जो एग्जिस्टिंग कानून है, जो प्रावधान है, उसमें कुछ डिस्पैरिटी है, कुछ

कमियां हैं। उनको दूर करने के लिए सरकार ने इलेक्शन कमीशन के साथ तालमेल करके, इलेक्शन कमीशन से जो रिकमेंडेशंस आई हैं, उनको मिलाते हुए, हमने कुछ चेंजेस इस अमेंडमेंट के माध्यम से प्रस्तुत किए हैं। ... (व्यवधान)

हम सब लोग जानते हैं कि संविधान के मुताबिक जब 18 साल पार हो जाते हैं तो आपका वोटिंग का राइट होता है। लेकिन अभी जो प्रावधान है, उसमें 18 साल क्रॉस होने के बाद भी आप वंचित रहते हैं। ... (व्यवधान) इस सिस्टम में 1 जनवरी, जो क्वालिफाइंग डेट है, वह पूरे साल में एक ही क्वालिफाइंग डेट दी गई है। उस क्वालिफाइंग डेट में जो आते हैं, वह ठीक है, लेकिन उसके बाद पूरे साल में जो होते हैं, वे रह जाते हैं और वे वंचित हो जाते हैं। 18 साल होने के बाद इस क्वालिफाइंग डेट को कैलेण्डर ईयर में 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर चार क्वालिफाइंग डेट्स कर दी गई हैं। ... (व्यवधान)

इसके अलावा हमारा जो एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है, वह जेण्डर न्यूट्रल नहीं था। इसका मतलब है कि एक इंसान किसी सर्विस में काम करता है और ओरिजनल वोटिंग की जगह पर उसका नाम है, अगर वह उससे अलग जगह जाता है तो सर्विस वोटर कहलाता है। ... (व्यवधान) वहां पर लिखा हुआ है – वाइफ, यानी हसबैंड का कोई प्रावधान नहीं है। वहां पर वाइफ लिखा हुआ है। सैक्शन 20 के सब-सैक्शन 6 में रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट में जो वाइफ लिखा हुआ है, इसमें उसकी जगह स्पाउज़ लिखने का प्रावधान किया गया है। जब इस पर चर्चा होगी तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ... (व्यवधान)

सर, इसके बाद प्रिमाइसिस की बात है। इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए जो जगह चाहिए होती है, उस प्रिमाइसिस को एक्वायर करने का प्रावधान है। इसमें उसको थोड़ा एक्सपैण्ड किया गया है। मैं उसके बारे में भी माननीय सदस्यों को विस्तार से बताऊंगा। ... (व्यवधान) आखिर में हम लोग सब चाहते हैं कि देश में जो इलेक्टोरल रोल है, चुनावी सूची है, वह अच्छी हो, सही हो, जैनुइन हो। इलेक्शन कमीशन भी यही चाहता है। इसमें एक प्रावधान डाला गया है कि एक नागरिक के पास या ऑर्डिनरी रेजिडेंट के पास आधार कार्ड है, उसको इलेक्टोरल रोल के साथ लिंक करने का प्रावधान रखा गया है। ... (व्यवधान)

यह वॉलन्टरी है, कम्पलसरी नहीं है, मैनडेट्री नहीं है ।...(व्यवधान) सरकार बहुत ही अच्छा चुनाव सुधार का जो प्रपोजल लेकर आई है, उसका समर्थन पूरा सदन करेगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं । बाद में माननीय सदस्य जब कहेंगे, तो मैं इस पर पूरे क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन के साथ बताऊंगा कि यह चुनाव सुधार देश के लिए कितना जरूरी है । धन्यवाद ।...(व्यवधान)

### माननीय सभापति: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

“कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधयेक पर विचार किया जाए ।”

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, आज सुबह हम ने सरकार से एक दरखास्त की थी, यह बिल आज इंट्रोडक्शन हो रहा है, आज यह बिल पारित हो रहा है, आप लोग इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं ।...(व्यवधान) अगर यह बिल महत्वपूर्ण है, तो इतनी जल्दबाजी में पास करने की क्या जरूरत है ? ... (व्यवधान) हम ने यह भी मांग की थी कि इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए ।...(व्यवधान)

**SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR):** The Government has not generated enough public opinion. ... (*Interruptions*) Public opinion should be generated fully. This Bill should be discussed in the House after some time, after getting the nod from ... (*Interruptions*)

श्री किरिन रिजीजू : सर, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात का क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के नेता ने स्टैंडिंग कमेटी के बारे में कहा है ।... (व्यवधान) यह स्टैंडिंग कमेटी से ही रेकमेंड हो कर आया है ।...(व्यवधान) मैं सदन की जानकारी के लिए स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ना चाहता हूं ।

The Departmentally related Parliamentary Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice in its 105<sup>th</sup> Report has stated that the Committee is of the view that linking of Aadhar number with Electoral Roll will purify electoral rolls and consequently reduce electoral malpractices. ... (*Interruptions*) Accordingly, the Committee has directed that the relevant laws, in this regard, should be amended at the earliest and Action Taken Report is required to be forwarded to the Committee. ... (*Interruptions*) यह पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें ऑल पार्टी के माननीय सदस्य हैं, वहीं से ये रेकमेंडेशंस आए हैं।

**डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा):** सभापति महोदय, यह जो कांग्रेस है, यह केवल इंस्टीट्यूशन को

... \*करती है।... (व्यवधान) इसने इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था को...\* दिया।... (व्यवधान) सभापति महोदय यदि आपको ध्यान हो, तो...\* चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वे कांग्रेस के माननीय सांसद बने और कांग्रेस ने उनको अपना मंत्री बनाया।... (व्यवधान) इसी कारण से वह इलेक्शन कमीशन को ...\*रखना चाहती है।... (व्यवधान) हमारी सरकार जो एक बिल लेकर आई है, एक सीरियस रिफॉर्म लेकर आई है, उसको यह बर्बाद करना चाहती है।... (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस हमेशा क्लेम करती है कि हम आधार लेकर आए हैं।... (व्यवधान) इन्होंने आधार का पैसा... (व्यवधान) बिना किसी कानूनी जामा के पहना दिया।... (व्यवधान) अगर आज हम आधार को इलेक्टोरल रोल के साथ जोड़ रहे हैं, तो कौन-सा अन्याय कर रहे हैं? ... (व्यवधान) क्योंकि इनको बांग्लादेशियों को बनाना है।... (व्यवधान) इस सदन में ऐसा हुआ है कि...\* नेपाल के नागरिक थे, वे यहां के माननीय सांसद हो गए।... (व्यवधान) इस आधार के बाद कांग्रेस न बांग्लादेशी को बना सकती है, न नेपाली को बना सकती है और न किसी अन्य को बना सकती है।... (व्यवधान) वोट बैंक की राजनीति के कारण सारी पॉलिटिकल पार्टीज टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ये सभी लोग केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं।... (व्यवधान) दूसरा सवाल यह है कि जो पोलिंग बूथ्स हैं, कई जगह मैं देखता हूँ कि मैक्सिमम वे मदरसे में हो जाते हैं, मैक्सिमम मस्जिद में हो जाते हैं और उसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास कोई

अख्तियार नहीं था। इसीलिए सरकार यह संसोधन लेकर आई है।... (व्यवधान) हम इस बिल का समर्थन करते हैं और सदन से आग्रह करते हैं कि बांग्लादेशी को, विदेशी को यहां का वोट न बनने दिया जाए।... (व्यवधान) इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था में कभी ...\*जैसा उदाहरण न हो कि वह कांग्रेस का मंत्री हो जाए, कभी मुख्यमंत्री हो जाए, इसलिए पूरा सदन इसका साथ दे।... (व्यवधान) इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।

**SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR):** Sir, this is the Bill whereby the entire democracy is being taken away in this way. This Bill needs a discussion.

Sir, I will tell you. Last week, this Minister of Law and Justice invited me and also all the Members of the Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. At that time, he committed that it would be sent to the Standing Committee. Now, this is his master plan. He is killing. ... (*Interruptions*) He is killing. ... (*Interruptions*) He is killing the entire thing.

**श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग):** माननीय सभापति महोदय, मैं शिव सेना की तरफ से इस बिल का विरोध कर रहा हूँ।... (व्यवधान) जिस जल्दबाजी में यहाँ पर इस बिल को पेश करने की कोशिश की जा रही है, परम् पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की कृपा से हम सभी लोगों को मतदान का पवित्र अधिकार प्राप्त हो चुका है, मतदान सूची को आधार से लिंक करना और जल्दबाजी में उसे पास करना सही नहीं है।... (व्यवधान) इस पर सही तरीके से बहस होनी चाहिए। इस पर सभी लोगों को अपने-अपने विचार व्यक्त करने की आवश्यकता है।... (व्यवधान)

**SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI):** I have only two-three important questions to ask the Government. The Bill was introduced today. What is the tearing hurry? ... (*Interruptions*). In the speech, Mr. Nishikant Dubey talked about Bangladeshis. In the newspapers, it is said that only the Congress wants Bangladeshis. I have a humble question to the BJP. There is an allegation against the BJP that one of the Ministers is a Bangladeshi, an allegation in West Bengal. That must be verified when he talks about other people.

The other thing is that they have talked about electoral reforms. If the hon. Minister wants electoral reforms, he should take this Bill back, bring a comprehensive Bill covering entire electoral reforms, talk about the women's reservation Bill, electoral bonds, इसके साथ महिला रिज़र्वेशन का बिल भी साथ लाएं, हम समर्थन करेंगे और यह बिल पास करेंगे ।... (व्यवधान)

So, they should take this Bill back. ... (*Interruptions*)

**SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET):** Sir, this Bill needs to be discussed. Yes, we very much welcome the gender neutrality which they have taken up in this Bill. At the same time, giving opportunity for four times to enrol themselves as voters is a good thing. ... (*Interruptions*)

But still Sir, we have experienced where 30 lakh people have already been seeded. What had happened in Telangana and Andhra Pradesh in 2015-16? In the Telangana Elections, 30 lakh people could not vote. ... (*Interruptions*) And in Andhra Pradesh, what happened was because of seeding of Aadhaar and this data together, the previous Government could



go ahead and make sure whom to be given what and whom to be taken out.  
... (*Interruptions*)

So, I request the Minister again to come with a comprehensive Bill so that proper discussion can happen in the House. ... (*Interruptions*)

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय सभापति जी, जैसा कि हम सभी लोग यह मानते हैं कि इस बिल पर कायदे से चर्चा होनी चाहिए और सभी को इस पर बोलने के लिए एक मौका मिलना चाहिए था ।... (व्यवधान) जिस हिसाब से इसको सदन में बुलडोज किया जा रहा है, यह कहीं न कहीं हमारी संसदीय परम्पराओं के खिलाफ है । इस बिल में कुछ मुद्दे हैं, जिन पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा । ... (व्यवधान)

मान्यवर, इस बिल के जरिए हमारे देश में आधार के साथ वोटर लिस्ट को लिंक करने की बात की जा रही है ।... (व्यवधान)

**SHRI ANUBHAV MOHANTY (KENDRAPARA):** Thank you Sir.

On behalf of my Biju Janata Dal Party, I appreciate the way the hon. Minister said that there will be four phases of qualification and it will be gender neutral. But at the same time, this is not the proper decorum. This is not the proper way to pass any Bill. It was supposed to be introduced today in this House. Today, the House is in a very disturbed way. This is not the proper time. It should be debated. It should be discussed by all parties and then only, considered to be passed.

**SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD):** Sir, I stand here to oppose the Bill. This Bill violates the basic structure of the Constitution. In the Kesavananda Bharti case, it was clearly said that democracy is a part of the basic structure. This Government is taking away the autonomy of the Election Commission. An EPIC card is issued through a Constitutional process by a Constitutional Authority. We have no right whatsoever to

indulge in it. By bringing this Bill and making it a law, the Government is interfering in the working of the Election Commission ... (*Interruptions*)

-

-

-

### **15.00 hrs**

**SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM):** Sir, I rise to oppose this Bill. Today, in the morning, at the time of introduction of this Bill also I opposed it on constitutional grounds. Now, my opposition is to the way by which this Bill is being passed. ... (*Interruptions*) The Bill has been introduced only today. The hon. Members of this House are not getting the opportunity to move their amendments. This is our democratic right ... (*Interruptions*) It is the democratic right of a Member to propose and move amendments. It is quite unfortunate that in the parliamentary system of democracy, the Members of the House are not being allowed to move the amendments. Then, what is parliamentary democracy? ... (*Interruptions*)

**SHRI E.T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI):** Sir, I vehemently oppose this Bill ... (*Interruptions*) It is a ...\* for the entire Legislature. This is never heard in the history of parliamentary democracy ... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : माननीय मंत्री जी – आप बोलिए ।

... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ । ... (व्यवधान) हम Election Laws (Amendment) Bill लेकर आए हैं । ... (व्यवधान) आपने हमें इस बिल को यहां इंट्रोड्यूस करने और इस पर कंसीड्रेशन का मौका दिया । ... (व्यवधान) यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है, जिस पर हम चाहते थे कि सब मेंबर्स चर्चा में हिस्सा लें और अपना मत दें । ...



(व्यवधान) पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, उसके तहत सारी विपक्षी पार्टियों के नेता अगर इस बिल में अपना योगदान देते, इस पर अपने व्यूज़ देते और चर्चा करते तो इससे बहुत अच्छा संदेश जाता । ... (व्यवधान)

एक तरफ तो ये लोग हाउस में हंगामा कर रहे हैं और ठीक से चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, फिर सरकार से कहते हैं कि चर्चा नहीं हो रही है । ... (व्यवधान) हम तो चर्चा चाहते हैं, इसीलिए तो यह बिल लेकर आए हैं । ... (व्यवधान) हम लोग चर्चा चाहते हैं, बहुत ही शांत वातावरण में चर्चा होनी चाहिए । ... (व्यवधान) इस वक्त ये लोग हंगामा कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं है । ... (व्यवधान)

सर, यह इम्पोर्टेंट बिल है । ... (व्यवधान) चुनाव सुधार की प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के बीच में है । ... (व्यवधान) जरूरत पड़ने पर राज्य सरकारों के बीच भी लगातार चर्चा की यह प्रक्रिया चलती आ रही है । ... (व्यवधान) कई सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और लॉ-मिनिस्ट्री के बीच कई चर्चाएं हुई हैं । ... (व्यवधान) बहुत इंटेंसिव डिस्कशन होने के बाद आज यह बिल हम यहां लेकर आए हैं । ... (व्यवधान) मैं जब कंसीड्रेशन की लीव ले रहा था, तब मैंने इस बात का ज़िक्र किया था । ... (व्यवधान) विपक्षी पार्टियों के हमारे कुछ नेता कह रहे हैं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए । ... (व्यवधान) मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूं कि इस विषय पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में बहुत व्यापक रूप से चर्चा हो चुकी है । ... (व्यवधान) पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सब पार्टियों के सदस्य होते हैं और वहां दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा होती है । ... (व्यवधान) पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यूनेनिमसली रिक्मनडेशन दी है । ... (व्यवधान) मैं देश के लिए इस सदन के माध्यम से इसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं । ... (व्यवधान) पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट कहती है – the Committee is of the view that linking of Aadhar Number with electoral roll will purify electoral rolls and consequently reduce electoral malpractices. Accordingly, the Committee has directed that relevant laws in this regard should be amended at the earliest and Action Taken Report is required to be forwarded to the Committee. हम इसे अपनी मर्जी या डिक्टेटोरियल तरीके से नहीं लाए हैं । ... (व्यवधान) व्यापक चर्चा करके ही इस विषय को आज सदन में लाया गया है । ... (व्यवधान) सबसे

पहले वर्ष 1988 में जब 61वां कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उस समय वोटिंग राइट के लिए आयु 21 वर्ष थी, जिसके बाद उसे 18 वर्ष किया गया था । ... (व्यवधान) जब 18 वर्ष का प्रावधान किया गया था, तब उसमें एक गैप, एक लैकूना रह गया था । ... (व्यवधान) इसकी वजह से 1 जनवरी को अगर कोई इससे पार हो जाता है, उन्होंने अपना नाम इलेक्टोरल रोल में दर्ज नहीं कराया, तो पूरे साल भर के लिए उसके लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं । ... (व्यवधान)

इसका मतलब हम जो चार कालीफाइंग डेट्स दे रहे हैं, उनके अनुसार साल में जब भी 18 साल की आयु पूरी होती है, वह तुरंत इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज कर सकता है और संविधान में दिए गए वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर सकता है ।

महोदय, जेंडर न्यूट्रल पर बोलना चाहता हूं ।... (व्यवधान) आज से पहले यदि कोई दूसरी जगह पर पोस्टेड है और वोट डालना चाहता है, यदि वह पुरुष है, तो उसकी वाइफ उसकी जगह पर वोट डाल सकती है, लेकिन यदि कोई महिला किसी दूसरी जगह पोस्टेड है, तो उसके हस्बैंड को वोट डालने का प्रावधान नहीं था । इसे जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है । इसे सैक्शन 20, वर्ष 1950 के पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में, 'the wife' की जगह 'the spouse' कर दिया गया है और जहां 'if she' लिखा है, वहां 'if such spouse' करके अमेंडमेंट लाया गया है ।... (व्यवधान) इसके बाद चुनाव के लिए जगह को भी चिह्नित करना पड़ता है । स्कूल, कम्युनिटी बिल्डिंग लेने के लिए रिक्विजिशन करनी पड़ती है । सैक्शन 160, वर्ष 1958 के पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के पुराने प्रावधान में चेंज किया है, जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं । Sub-Section 1 (a) of Section 160 says:

“Any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as polling stations, for counting, for storage of ballot boxes, voting machines including voter verifiable paper audit trail and poll related material after a poll has been taken, accommodation for security forces and polling personnel.”

चुनाव के लिए जरूरत के हिसाब से -

“provided that such premises shall be requisitioned after the issuance of notification of the Election Commission under Section 30 for such election till the date notified under clause ‘e’.”

यानी कि जब तक इलेक्शन नोटीफाई नहीं करेंगे, तब तक मर्जी से इलेक्शन अधिकारी उस जगह को रिक्विजिशन नहीं कर सकते हैं ।... (व्यवधान) इन्होंने पुत्तास्वामी जजमेंट को कोट करके ‘आधार’ के साथ इलेक्टोरल रोल के लिंक का मुद्दा भी उठाया है ।... (व्यवधान) मैं मानता हूं कि इन्होंने बिल के प्रावधान को ठीक से नहीं पढ़ा है या समझने के बाद जानबूझ कर भी समझ नहीं रहे हैं, मैं कह नहीं सकता हूं । लेकिन जिस तरह से विरोध का स्वर उठा है, यह ठीक नहीं है । पुत्तास्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि “Right to privacy is a fundamental right.” इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि -

“Permissible limits for invasion of privacy, namely, there should be existence of law, legitimacy of interest and such law should pass the test of proportionality.”

इन तीनों के बारे में मैं शार्ट में जस्टीफाई करके बताना चाहता हूं ।... (व्यवधान) सबसे पहले ‘एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ’ होना चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इसलिए हम आज यह लॉ लेकर आ रहे हैं, to justify the Supreme Court ruling. दूसरा लेजिटीमैसी आफ इनटेरेस्ट इसलिए है कि

Section 17 of RP Act says:

“No person shall be entitled to be registered in electoral roll for more than one constituency.”

मल्टीपल नाम को हटाने के लिए यह लेजिटिमेसी आफ इनटेरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है और साथ में test of proportionality के लिए हम जो प्रावधान ला रहे हैं, वह जनता के इनटेरेस्ट में है, वोटर के इंटेरेस्ट में है और देश में साफ सुथरे चुनाव की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस विधेयक का सब समर्थन करें।... (व्यवधान)

माननीय सभापति: **प्रश्न यह है**

“कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : **अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।**

... (व्यवधान)

माननीय सभापति: **प्रश्न यह है :**

“कि खण्ड 2 से 7 विधेयक के अंग बने।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय सभापति : **माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।**

... (व्यवधान)

**SHRI KIREN RIJJU:** Sir, I beg to move:

“That the Bill be passed.”

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

“कि विधेयक पारित किया जाए ।”

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**माननीय सभापति:** सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

... (व्यवधान)

**15.12 hrs**

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, December 21, 2021/Agrahayana 30, 1943 (Saka).*

-

### **INTERNET**

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

<http://www.parliamentofindia.nic.in>

<http://www.loksabha.nic.in>

### **LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA**

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.



---

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business  
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)

---

---

\* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

\* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

\* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

\* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5730/17/21.

\* Speech was laid on the Table.

\* Speech was laid on the Table.

\* Speech was laid on the Table.

\* Speech was laid on the Table.

\* Speech was laid on the Table.

\* Speech was laid on the Table.

\* Speech was laid on the Table.

\* Speech was laid on the Table.

\* Speech was laid on the Table.

\*\* Introduced with the recommendation of the President.

\* Not recorded as ordered by the Chair.

\* Not recorded.